बिहार विधान सभा सचिवालय

आवश्यक सूचना

पंचदश बिहार विधान सभा का षोडश सत्र संशोधित कार्यक्रमानुसार दिनांक-11 मार्च, 2015 से प्रारंभ होकर दिनांक-22 अप्रील, 2015 तक चलेगा, जिसका सीधा वेबकास्टिंग किया जायेगा, जिसे http://webcast.gov.in/biharvs तथा www.vidhansabha.bih.nic.in पर देखा जा सकता है ।

सत्र के दौरान प्रत्येक दिन के प्रश्नकाल सहित सदन की अन्य महत्वपूर्ण कार्यवाहियों का प्रसारण डीडी बिहार चैनल, दूरदर्शन केन्द्र, पटना एवं प्रत्येक दिन के प्रश्नकाल का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र, पटना से किया जायेगा ।

बिहार विधान सभा में दिनांक-11 मार्च, 2015 को सरकार के विश्वास मत के प्रस्ताव पर सदन में वाद-विवाद एवं मतदान होने का कार्यक्रम भी निर्धारित है । सत्रकाल में बिहार विधान मंडल परिसर में बाहरी व्यक्तियों एवं अनाधिकृत वाहनों का प्रवेश अवांछनीय तथा निषिद्ध है । अतएव लिखित अनुमति अथवा प्रवेश-पत्र प्राप्त किये बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति बिहार विधान मंडल की परिसीमा में प्रवेश नहीं करें । साथ ही माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि सत्र के दौरान बिहार विधान मंडल परिसर में अपने साथ अंगरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं लाने एवं सुरक्षा कारणों से सत्रकाल में काला शीशायुक्त वाहन का प्रयोग नहीं करने तथा सुरक्षाकर्मियों द्वारा माँगे जाने पर अपना प्रवेश-पत्रक दिखलाने की कृपा करें ।

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा, पटना ।